संख्या– 760 /XVIII-(2)/2005

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़, उत्तरकाशी,
रूद्रप्रयाग एवं टिहरी गढ़वाल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 10 अगस्त, 2005

विषयः– जनपदों में दैवी आपदा से प्रभावितों में राहत सहायता वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में अतिरिक्त धनावंटन के संबन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 485/XVIII-(2)/2005, दिनांक 7 मई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुये सन्यक विचारोपरान्त दैवी आपदा से प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद, में रू0 5.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रू0 20,00,000/– (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

2– अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद में स्वीकृत धनराशि का तत्काल दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वितरण कराया जाय, तथा अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर जिलाधिकारी का उत्तर दायित्व होगा।

4– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं मितव्यता के विषय में शासन के आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5– पूर्व स्वीकृत एवं इस धनराशि का 31.3.2006 तक उपयोग कर उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर लिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वो उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

7– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें–01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं. 1251/वि.अनु.–3/2005 दिनांक 10.8.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किया जायेगा।

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

GO pithoragarh

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं टिहरी गढ़वाल।
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
5– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
6– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–3,
8– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या– 736 /XVIII-(2)/ 2005

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक 10 अगस्त, 2005

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 348/13–18 (2003–04) दिनांक 6.11.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रूद्रप्रयाग में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत के 16 कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 23.25 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार संलग्न विवरणानुसार रू0 18,00,000/– (रू0 अठारह लाख मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही इतनी ही धनराशि के व्यय की भी स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नय हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी

द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि यह धनराशि उक्त तिथि तक अप्रयुक्त रहती है तो वह धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें– 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 1168/वित्त अनु0 3/2005 दिनांक 8.8..2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्न–यथोक्त</u>

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
4– कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
6– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
7– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–3।
9– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

10080500